



जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म०प्र०)

क्रमांक स्था.दो/(1)/55-11/276

दिनांक 20/03/2024

प्रति,

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय/अभियांत्रिकी/उद्यानिकी, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
2. संचालक, अनुसंधान/विस्तार सेवायें/प्रक्षेत्र/शिक्षण, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
4. अधिष्ठाता, कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी, महाविद्यालय।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
6. प्रभारी, जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (कृषि), ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
7. प्रभारी, उपकरण विनियोग केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
8. विभागाध्यक्ष, उद्यान शास्त्र/वानिकी/पौध कार्यिकी/मृदा विज्ञान/पौध प्रजनन विभाग/सस्य विज्ञान/अर्थशास्त्र/कीटशास्त्र/विस्तार शिक्षा/खाद्य विज्ञान/पौध रोग/तिल एवं रामतिल, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर।
9. समस्त सह-संचालक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
10. प्रमुख वैज्ञानिक, उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुआं, गढ़ाकोटा, सागर।
11. समस्त, प्रमुख वैज्ञानिक, क्षेत्रिय कृषि अनुसंधान केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
12. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, जबलपुर/नरसिंहपुर/मण्डला/सिवनी/बड़गांव/छिंदवाडा 1 एवं 2/बैतूल/डिण्डोरी/दमोह/कटनी/रीवा/सीधी/शहडोल/पन्ना/सागर 1 व 2/पवारखेड़ा/हरदा/टीकमगढ़/छतरपुर/उमरिया।
13. कार्यपालन यंत्री/सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी/सहायक ग्रंथपाल, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
14. सहायक कुलसचिव सामान्य/स्थापना/विधि/शैक्षणिक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
15. समस्त अनुभाग अधिकारी, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।

विषय:—विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत गैर-शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2025 में उनके अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में।

—000—

विषयांतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं अधिनस्थ विभिन्न विभागों/इकाईयों में कार्यरत गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष पूर्ण करने पर विश्वविद्यालय सेवाओं से सेवानिवृत्त किये जाने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन किया जाना है।

अतः आपके अधिनस्थ जिन गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) की अधिवार्षिकी आयु 31 दिसम्बर 2025 तक 62 वर्ष पूर्ण हो रही है, के संबंध में सेवापुस्तिका के जिस पृष्ठ पर उनकी जन्मतिथि स्पष्ट अंकित हो की सत्यापित छायाप्रति 15 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर